पी.एफ.आर.डी.ए. की 125 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13/मार्च/2025 के बैठक के कार्यवृत्त का उद्धरण, जिनमें बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों को दर्शाया गया है EXTRACT OF MINUTES OF THE 125th BOARD MEETING OF PFRDA HELD ON 13/MARCH/2025

DEPICTING MAJOR DECISIONS TAKEN IN THE MEETING

एजेंडा विषय	
वस्तु सं./	एजेंडा विषय वस्तु/Agenda Item
Agenda No.	
125.1	Proposal to notify "Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025" in the Gazette of India to operationalize Unified Pension Scheme, as an option under National Pension System, with effect from 01.04.2025
	01.04.2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना को
	संचालित करने के लिए भारत के राजपत्र में "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय
	पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025" को अधिसूचित करने
	का प्रस्ताव।
	बोर्ड द्वारा, 01.04.2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन
	योजना को संचालित करने के लिए भारत के राजपत्र में "पेंशन निधि विनियामक और विकास
	प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025" को
	अधिसूचित करने के प्रस्ताव को सुझावों सहित, जैसा की बोर्ड ज्ञापन में निहित है, अनुमोदन प्रदान
	किया है।
	Board has approved the proposal to notify Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 in the Gazette of India, effective from 01.04.2025 along with suggestions as contained in Board memorandum.
